तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 21/22	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
26.08.2022	अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता अपीलांट ने स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस हेतु निवेदन किया, जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने स्थगन प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने एक वाद वादग्रस्त आराजी मौजा बलाड़ा तहसील जैतारण के खसरा नंबर 952 रकबा 0.9955 हैक्टेयर, खसरा नंबर 957 रकबा 1.3921 हैक्टेयर व खसरा नंबर 953 रकबा 7.9804 हैक्टेयर के संबंध में प्रस्तुत कर विभाजन, स्थाई निषेधाज्ञा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत मय स्थगन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील आदेश पारित किया है। रेस्पोडेन्ट महेन्द्र द्वारा अपनी भूमि को बेचान कर दी एवं उसके कोई अधिकार शेष नहीं थे तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद व प्रार्थना पत्र के किसी भी तथ्यों का अवलोकन किए बिना सम्पूर्ण सहखातेदारों के विरूद्ध एकपक्षीय स्थगन आदेश पारित किया, जबकि सहखातेदारों को उक्त भूमि के उपयोग व उपभोग से वंचित नहीं किया जा सकता। प्रकरण में इन हालातों में सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति का बिन्दु अपीलांट के पक्ष में है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील आदेश की पालना व क्रियान्विति स्थगित की जावे। वकील रेस्पोडेन्ट ने स्थगन प्रार्थना में वर्णित तथ्यों का प्रत्युत्तर देते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा मौजा बलाड़ा तहसील जैतारण के खसरा नंबर 952 रकबा 0.9955 हैक्टेयर, खसरा नंबर 957 रकबा 1.3921 हैक्टेयर व खसरा नंबर 953 रकबा 7.9804 हैक्टेयर के संबंध में प्रस्तुत कर विभाजन, स्थाई निषेधाज्ञा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत मय स्थगन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील आदेश पारित किया है। रेस्पोडेन्ट ने उक्त वादग्रस्त आराजी में से खसरा संख्या 953 में अपने हक हिस्से की सम्पूर्ण भूमि का विक्रय किया है इसलिए खसरा संख्या 953 की सीमा तक अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम स्थगन को वैकेन्ट किया जाता है तो रेस्पोडेन्ट को कोई आपत्ति नहीं होगी। उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन से यह स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 3 व 4 द्वारा खसरा संख्या 953 की आराजी में से अपने सम्पूर्ण हक हिस्से का बेचान दिनांक 01.07.2021 को जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख कर दिया गया है। दिनांक 01.07.2021 को उक्त खसरे की भूमि में से अपने सम्पूर्ण हक–हकूको की भूमि का विक्रय करने के बावजूद रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा दिनांक 07.07.2021 को खसरा नंबर 953 को अन्य खसरो के साथ शामिल करते हुए अधीनस्थ न्यायालय में वाद दायर कर दिनांक 08.07.2021 को एकपक्षीय अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाई गई है, इससे स्पष्ट होता है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा जानबूझकर तथ्य छिपाते हुए अधीनस्थ न्यायालय में वाद दायर कर एकपक्षीय अंतरिम निषेधाज्ञा प्राप्त की गई है। जो उचित नहीं	

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

है। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा खसरा नंबर 953 की हद तक उक्त अंतरिम आदेश दिनांक 08.07.2022 की पालना व प्रभाव को स्थगित करने का निवेदन किया, जिस पर अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया। अतः विचारण प्रकरण में खसरा नंबर 953 की हद तक अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 24/2021 बउनवान महेन्द्र बनाम फूमा देवी वगैरह में पारित आदेश दिनांक 08.07.2021 की पालना व प्रभाव को स्थगित किया जाता है। शेष आदेश यथावत रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि वह प्रकरण में उभयपक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 39 नियम 3 (क) में उल्लेखित प्रावधानानुसार 30 दिवस की अवधि में विधिसम्मत निर्णय पारित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

140
10/2/23